मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०२४

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०२४ है.

(२) यह १ जुलाई, २०२४ से प्रवृत्त होगा.

धारा ९–क का लोप.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) की धारा ९-क का लोप किया जाए.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

माननीय मंत्रियों, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को राज्य सरकार द्वारा देय आयकर की सुविधा से संबंधित उपबंध का लोप किया जाना प्रस्तावित है. अतएव, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १ जुलाई, २०२४

श्रीमती कृष्णा गौर
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) से उद्धरण.

* * * *

धारा ९-क- इस अधिनियम के अधीन किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री तथा किसी संसदीय सचिव को देय समस्त भत्तों की बाबत् और किराये का भुगतान किये बिना सुसज्जित निवास स्थान की उस सुविधा की बाबत् एवं उन अन्य परिलब्धियों की बाबत् जो किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, यथा स्थिति किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव से आयकर नहीं लिया जाएगा और वह आयकर यथास्थिति किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव द्वारा देय अधिकतम दर पर राज्य सरकार द्वारा देय होगा. किसी मंत्री, किसी राज्यमंत्री, किसी उपमंत्री या किसी संसदीय सचिव को देय उक्त भत्तों का परिलब्धियों से प्रोद्भूत आय की कुल रकम में से, समय-समय पर अनुज्ञेय आयकर से छूट की सीमा की रकम और मानक कटौतियों की रकम, जो भी हों, घटाई नहीं जाएगी.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.